कांगड़ा जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†३४२२. { **श्री रामरतन गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण हाल में आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या इस क्षेत्र में चान्दी मिली है; और

(ग) इस जिले में प्राप्त खनिजों का ब्यौरा क्या है?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). कांगड़ा जिले की पर्वत घाटी में उचित नामक स्थान में चान्दी के अयस्क की पुरानी खानें होने का उल्लेख रिकार्डों में मिलता है । इस क्षेत्र का विस्तृत सवक्षण किया जा रहा है और वह पूरा हो जाने पर परिणाम ज्ञात हो सकेंगे ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

राजशाही जिले के निश्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा चलाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री हेम बरुआ के 'ध्यान दिलाओ' प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, के लिये १६-६-६२ को आज का दिन नियत किया गया था ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैंने मार्च और अप्रैल महीने में पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक घटनाओं के सम्बन्ध में ४ जून को एक वक्तव्य दिया था । उस में मैंने भारत सरकार के १२ मई के विरोध-पत्र के पाकिस्तान सरकार द्वारा दिये गये उत्तर का उल्लेख किया था, जिसमें यह स्वीकारोक्ति थी कि पूर्वी पाकिस्तान में बड़े गम्भीर किस्म की घटनायें हुई थीं ।

पूर्वी पाकिस्तान की उन घटनाओं की खबरें यहां पहुंचने पर, खास तौर पर मई के दूसरे सप्ताह में, काफी उत्तेजना फैली थी । पश्चिमी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और कूच-बिहार में कुछ छुट-पुट घटनायें हुई थीं । राज्य-अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दे दिये गये हैं ।

अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में पूर्वी पाकिस्तान में गम्भीर किस्म की घटनाओं की कोई खबर नहीं मिली है और आशा की जा सकती थी कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की जनता बीच स्थिति सामान्य हो गई होगी । लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले में फिर गम्भीर घटनाओं की खबरें आईं । उनका विवरण पेश करने से पहले, मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहता हूं जो मैं ४ जून के वक्तव्य में नहीं बता सका था ।

हमारे राजशाही स्थित कार्यालय (सहायक उच्च आयुक्त) ने मई के शुरू में ४,००० इच्छुक प्रव्रजकों से भेंट की थी । हाल के आंकड़ों से पता चला है कि मई महीने में प्रव्रजन-प्रमाण-पत्रों की मांग कोई असामान्य नहीं थी । ढाका-स्थित हमारे उप उच्च आयुक्त के पास मई में कुल ६०६ प्रार्थना-पत्र आये थे, जो १७९३ व्यक्तियों के बारे में थे । तुलना के लिये देखिये, मार्च

---

†मूल अंग्रेजी में

और अप्रैल में क्रमशः १५३० और १३१२ प्रार्थना-पत्र आये थे। ढाका-स्थित हमारे कार्यालय ने मई में १०१५ व्यक्तियों को प्रव्रजन-प्रमाणपत्र मंजूर किये थे, जब कि मार्च और अप्रैल में क्रमशः १०८० और ९५२ की मंजूरी दी गई थी।

दोनों इलाक़ों के बीच आने जाने वालों के आंकड़े देखिये। अप्रैल महीने में पश्चिमी बंगाल में ११,६६४ हिन्दू आये थे और १३,०१५ पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान के लिये गये थे। अप्रैल में १४,७७६ मुस्लिम पश्चिमी बंगाल में आये थे और १४,२६४ (केवल ५०० कम) पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गये थे। और ऐन उसी वक्त पाकिस्तान के समाचारपत्र माल्दा में मुस्लिमों के क़त्ले आम और हजारों की तादाद में उनके पूर्वी पाकिस्तान भागने के समाचार छाप रहे थे। जरा मई के आंकड़े देखिये—पूर्वी पाकिस्तान से १२,८२७ हिन्दू आये थे और ८,४०८ वहां गये थे। मई महीने में पश्चिमी बंगाल से १३,०५३ मुस्लिम पूर्वी पाकिस्तान गये थे और १२,७२० पूर्वी पाकिस्तान से आये थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि पाकिस्तान का प्रचार कितना भ्रामक था। मई में स्थिति यह थी और इसे देखते हुए यह और भी खेदजनक लगता है कि पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले में इस प्रकार की गड़बड़ी हुई। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजे गये समाचार के अनुसार १५ जून को लगभग ३ बजे आधी रात को गोपालपुर, जोका, सोनमाशा, मंचलपाड़ा और इकरामपुर गांवों के ६०० हिन्दू पाकिस्तानी राष्ट्रजनों पर, जो अधिकांशतया संथाल और राजवंशी लोग थे, और गुमाश्तपुर पुलिस थाने (पूर्वी पाकिस्तान) के पास बाराबिला पर सीमा पार करने जा रहे थे, पाकिस्तान सशस्त्र सेनाओं ने एकाएक गोलीबारी शुरू कर दी। उनके पास प्रमाण-पत्र नहीं थे। गोलीबारी के फलस्वरूप १४ व्यक्ति वहीं मारे गये और २ पुरुष तथा ६ स्त्रियां घायल हुईं। लगभग ३०० व्यक्ति भारत की सीमा में आ गये थे। आठ घायलों में से एक पुरुष और आठ वर्ष की एक बालिका माल्दा अस्पताल पहुंचते-पहुंचते मर गये।

माल्दा जिले में इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य कोई वारदात न होने देने के लिये जिला अधिकारियों ने पूरी सतर्कता रखी है।

राष्ट्रमंडलीय सचिव ने १६ जून, शनिवार को इन सभी घटनाओं की ओर दिल्ली-स्थित पाकिस्तान उच्च आयुक्त का ध्यान आकर्षित करा दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के रवैये के प्रति विरोध प्रकट किया है और भारत सरकार की ओर से यह चिन्ता व्यक्त कर दी है कि पाकिस्तानी अधिकारियों को कुछ ऐसे सख्त उपाय करने चाहिये कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस प्रकार घबराहट में आकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश न करें।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने पूर्वी बंगाल के अधिकारियों को विरोध-पत्र भेज दिया है और आज हमारे ढाका-स्थित उप उच्च आयुक्त पूर्वी पाकिस्तान के राज्यपाल से मिल रहे हैं।

आज सुबह पाकिस्तान उच्च आयुक्त यहीं दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय सचिव से मिले थे और उन्होंने घटनाओं का विवरण, पाकिस्तान सरकार की दृष्टि से, कुछ इस प्रकार बतलाया है। उसका कहना है कि १४/१५ की रात में चारलपंगा पुलिस चौकी को खबर मिली कि एक भारी भीड़ सीमा की ओर बढ़ रही है। उसने गुमाश्तापुर पुलिस थाने को सूचित किया और एक छोटी गश्ती टुकड़ी जांच करने के लिये भेजी गई। उस प्रदेश में ऐसा जमाव करना गैर-कानूनी है। ढाई बजे रात को पुलिस के पास पहुंचते ही भीड़ ने तुरन्त ही धनुष-बाण लेकर उस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिये १४ बार गोली चलाई और उससे एक आदिवासी मारा गया। पुलिस ने २२५ आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया। और किसी की हताहत होने की कोई जानकारी उनको नहीं है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री हिलाली ने बताया कि उनको सूचित किया गया है कि उस घटना के बाद उस क्षेत्र में साम्प्रदायिक स्थिति बिलकुल शान्तिपूर्ण रही है। उस घटना के पीछे भी कोई साम्प्रदायिक कारण नहीं था। वे कहते हैं कि संथाल भारत क्यों जाना चाहते थे---इसका कोई पता नहीं चला है। पाकिस्तान सरकार इसे एक सामान्य सी सीमा-घटना मानती है।

यहां सभा में दो दिन पहले यह प्रश्न उठा था। पूर्वी पाकिस्तान में हमारे उप उच्च आयुक्त के रवैये के बारे में काफी आलोचना की गई थी। मेरी समझ में तो वह आलोचना आई नहीं। इसलिये कि उप उच्च आयुक्त ढाका में रहते हैं और वह घटना भारत की सीमा के निकट राजशाही जिले में हुई थी। राजशाही में हमारा एक सहायक उच्च आयुक्त रहता है। उसे भी काफी बाद तक इसकी पूरी सूचना नहीं मिल पाई थी। सब से पहले पश्चिमी बंगाल सरकार को ही उसका पता चला था, क्योंकि उसकी अपनी सीमा-पुलिस वहां रहती है। हमें पश्चिमी बंगाल सरकार से ही सूचना मिली थी।

उप उच्च आयुक्त और सहायक उच्च आयुक्त को उसका पता तुरन्त लग भी नहीं सकता था। उनको पाकिस्तान सरकार से ही सूचना मिल सकती थी। सीमा काफी दूर होने के कारण, हमें भी उसी दिन सूचना नहीं मिल सकती थी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या प्रधान मंत्री को मालूम है कि शुक्रवार के बाद के पिछले तीन दिनों में लगभग १,००० शरणार्थी मालदा नगर में आये थे और क्या हमारे राजशाही-स्थित उप या सहायक उच्च आयुक्त को कुछ भी नहीं मालम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत में क्यों आ रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्या ने जो संख्या बतलाई है, वह सही नहीं लगती। शरणार्थी तो आये हैं, पर उनकी संख्या कुछ कम रही है।

लेकिन ढाका में रहने वाले उप उच्च आयुक्त को उसका पता भी कैसे चलता ?

और, उन्होंने रात में कोशिश न की होती, तो भी बिना प्रमाण-पत्र के सीमा-पार करने की कोशिश तो गैर-कानूनी थी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इतने लोग इस कारण ही इधर आ रहे थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने वह वक्तव्य पढ़ दिया है जिस में मैं ने कहा था कि उनके इस प्रकार भाग कर आने का एक ही कारण हो सकता है---यह कि वे वहां की घटनाओं से घबरा गये होंगे। अल्पसंख्यकों के दिमाग में वहां आम तौर पर एक डर समाया हुआ है, उसके अतिरिक्त क्या हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाल में राजशाही जिले में ६ सप्ताह या एक महीने पहले कुछ भीषण घटनायें हुई थीं। उस समय पता नहीं ठीक-ठीक क्या हुआ। मुझे तो यह पता चला है कि संथाल लोगों ने एक गुप्त बैठक में यह निश्चित किया था कि वे आधी रात के समय सीमा पार कर लेंगे, जिससे पकड़े न जायें। इसका पता उप या सहायक उच्च आयुक्त को कैसे लग सकता था ?

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या सरकार ने अब घटना के विवरण की परिपुष्टि कर ली है ?

क्या हमारे अधिकारी उन लोगों के पास गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्रीमती लक्ष्मी मेनन, ने अभी कल ही कहा था कि उन्होंने इस खबर को अखबारों में देखा था और उसके बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार से पूछताछ की थी । इस तरह हमारी सरकार काम करती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले में तो सरकारी व्यवस्था ने बड़ी फुर्ती से काम लिया था । १५ मार्च को आधी रात में तीन बजे घटना हुई और २६–२७ घण्टे बाद १६ मार्च की सुबह उस पर सभा में चर्चा होने लगी । हमने पश्चिमी बंगाल सरकार से टेलीफोन द्वारा सूचना संग्रह कर ली थी और उसे सभा में पढ़ कर सुना दिया था । उसके दूसरे ही दिन उन्होंने हमारे पास एक लम्बा प्रतिवेदन भेज दिया था । उप उच्चायुक्त के पास भी सहायक उच्च आयुक्त ने पूरा विवरण भेज दिया था । इससे अधिक और क्या शीघ्र ता हो सकती थी ?

माननीय राज्य मन्त्री ने १६ की सुबह को समाचार पत्रों में समाचार देखा था, और तब तक हमारे पास भी सूचना आगई थी । हमें १६ को ग्यारह बजे तक विवरण मिल गया था । वह माननीय राज्य मन्त्री ने मुझे दिखाया था और मैंने कह दिया था कि उसे सभा के सामने रख दिया जाये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के उस भाग में लाखों की संख्या में जो हिन्दू रह रहे हैं और जो पाकिस्तानी व्यवहार से परेशान होकर भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं प्रधान मन्त्री जी से एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि जब नेहरू लियाकत पैक्ट का इस समय तक कोई सुपरिणाम नहीं निकला और अब भी इस प्रकार के दुर्व्यवहार से तंग आकर हजारों की संख्या में वह भारत आने को उत्सुक हैं तो भारत सरकार इस विषय में क्या अन्तिम निर्णय लेना चाहती है जिससे कि उनको कुछ सन्तोष प्राप्त हो सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी आपको बताया है कि वाक्या यह है कि बहुत कम लोग आये हैं हालांकि उनको पूरा-पूरा मौका हमारी तरफ से आने का दिया गया । हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं हुई । मुमकिन है पाकिस्तान की तरफ से कोई रुकावट कहीं-कहीं हुई हो मगर वह भी ज्यादा नहीं कर सकते । अब पाकिस्तान में कहा गया कि मुसलमान काफी तादाद में हिन्दुस्तान से भाग कर आये । मैंने आप को पढ़ कर सुनाया कि मुसलमान उसी जमाने में यानी मार्च, अप्रैल और मई में कितने पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये और इसी तरीके से हिन्दू कितने वैस्ट बंगाल से पाकिस्तान गये उसी जमाने में । यह तो जाहिर है कि उन नम्बरों में वह लोग शामिल नहीं हैं जो कि खुफिया तौर से आये हैं । उनका अन्दाज करना मुश्किल है । खुफिया तौर से कुछ लोग आये हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन वाकया यह है कि बहुत ज्यादा नहीं आये हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि भविष्य के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि.....

†**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : हमारी सरकार ने क्या ऐसा प्रबन्ध किया था कि उन को राजशाही जिले में ही प्रव्रजन-प्रमाणपत्र मिल जायें, और ढाका न जाना पड़े ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका विवरण नहीं बतला सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या ब्यौरेवार प्रबन्ध किया गया था । हां, लेकिन सहायक उच्च आयुक्त लगभग एक हजार लोगों से मिले अवश्य थे और उनको प्रव्रजन-प्रमाणपत्र भी दिलाये थे । बाकी लोग उनसे मिलने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहीं गये। पता नहीं उनको ढाका जाने के लिये कहा भी गया था, या नहीं। और यदि कहा भी गया था, तो उनका ढाका न जाना बतलाता है कि वे पूरी तौर पर तुले हुए भी नहीं थे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या केन्द्रीय सरकार यह पता लगाने के लिये तैयार है कि अब स्थिति क्या है और कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार के माध्यम से, उसके जरिये ही काम कर सकती है। इसलिये कि वहां पश्चिमी बंगाल सरकार का एक जिलाधीश रहता है और वहां सरकारी व्यवस्था है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यहां एक व्यक्ति के मृत होने की बात कही गई है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने तो कहा था कि चार व्यक्ति मारे गये हैं।

श्री बड़े (खारगोन) : क्या माननीय प्रधान मन्त्री यह अपना कर्तव्य नहीं समझते कि पाकिस्तान में जो हिन्दू रह गये हैं उनको प्रोटैक्शन और संरक्षण दिया जाय और जितने हिन्दू वहां से इधर भारत में आना चाहते हैं उनको वहां से निकल कर आने में प्रोटैक्शन दिया जाय और जब वह बोर्डर पर आते हैं तब उनको कुछ मिलेटरी आदि का प्रोटैक्शन दिया जाय ताकि वह सही सलामत यहां पर आ सकें ?

अध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान के अन्दर ही उनको प्रोटैक्शन दिया जाय ?

श्री बड़े : पाकिस्तान के बोर्डर पर प्रोटैक्शन दिया जाय। मेरा कहना है कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह से क्यों उन बेचारों को मरवाती है और उनको प्रोटैक्शन क्यों नहीं देती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि उस जमाने में हौलनाक बातें राजशाही वगैरह में हुईं और उसी के साथ हौलनाक बातें मालदा में हुई हैं हालांकि उस कदर ज्यादा नहीं हुई। राजशाही के बाद मुझे सब याद नहीं लेकिन कई जिलों में यह साम्प्रदायिक झगड़े हुए जिनमें कि इधर मुसलमान मारे गये। अब यह एक शर्म की बात है कि ऐसी बातें पाकिस्तान में हों या यहां हों। वहां ज्यादा होती हैं मान लिया लेकिन यह चीजें महज एक तराजू से नहीं तौली जानी चाहिए कि किसने ज्यादा बदतमीजी या खराब बातें की हैं और किस ने कम की हैं। हम तैयार हैं। हमने कोई रुकावट नहीं डाली वहां से लोगों के आने में लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए या रक्षा करनी चाहिए तो हम उनकी रक्षा पाकिस्तान में जाकर नहीं कर सकते। अब जो वाकये हुए और पाकिस्तान के बयान आप देखें मैंने पढ़ कर सुनाया कि रात को वहां उस जगह बोर्डर पर लोगों का जमा होना गैर-कानूनी है। अब रात को वहां बोर्डर पर लोग आये और इस तरह कानून के खिलाफ बात उन्होंने की। उसके ऊपर जब पुलिस का आउटपोस्ट गया तो उन्होंने उन पर कमानों से तीर चलाये जिस पर कि पुलिस ने गोली चलाई और उसमें चार आदमी मरे। हमारी इत्तिला यह है कि दो आदमी तो उसी वक्त मरे और दो जरा बाद में मरे।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, अब यह तीर कमान जो कहा गया है कि उन्होंने चलाया तो क्या.....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति। माननीय सदस्य बैठ जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े** : इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बैठ जाये ।

†**श्री बड़े** : नहीं तो इसके फलस्वरूप हिन्दू-मुस्लिम झगड़े भी हो सकते हैं ।

अगर ऐसी ही गड़बड़ चलती रही तो हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हो सकते हैं । लोगों में इससे बड़ा असन्तोष है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हिन्दू-मुस्लिम दंगे क्यों होंगे यह एक धमकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस प्रश्न पर आध घण्टे से अधिक लगा चुके हैं । अब इस पर और अधिक चर्चा नहीं होगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम एक चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं । हमने यह चर्चा यहां इसलिये नहीं उठाई कि हमारे यहां भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच कुछ हो । हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरह यहाँ वैसा कुछ हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें ।

श्री बड़े : माननीय अध्यक्ष, यह ग़लत बात है । मैंने इस प्रकार नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री बड़े : मैंने यह कहा है कि यदि हाउस में इस विषय को डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं दिया जायगा, तो देश में अशान्ति बढ़ेगी और हिन्दू-मुस्लिम टेन्शन बढ़ेगा । मैंने यह नहीं कहा कि वह होना चाहिए । आनरेबल मेम्बर हिन्दी नहीं समझती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने अपना-अपना मंशा स्पष्ट कर दिया है । अब हम अगला विषय लेंगे ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, उसको इस तरह से गुस्से में दबाने का यत्न किया जा रहा है । यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गड़बड़ होती है, हिन्दुस्तान में गड़बड़ होती है । क्या सरकार इसका कोई उपाय नहीं सोच सकती ? आप भी बोलने न देकर "आर्डर, आर्डर" कह कर बिठा देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे आपको बिठाना ही होगा, क्योंकि इसका यहां पर कोई ताल्लुक नहीं है ।

प्रोफेसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलयुजा) : मैं नियम १७९ के अन्तर्गत, अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"प्रोफेसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् छोड़ने का कथित निणय ।"

---

†मूल अंग्रेजी में